



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 14-2019]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2019
(12 चैत्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांका०नि०19/संविधान/अनु० 309/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं.	141–142
	2. अधिसूचना संख्या सांका०नि०20/संविधान/अनु० 309/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 – हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	143–144
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2019

संख्या सांका०नि० 19/संविधान/अनु० 309/2019 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1997 में, नियम 5 में, "40 वर्ष" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रस्थापित किये जायेंगे।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 29th March, 2019

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service Rules, 1997, namely:-

1. These rules may be called the Haryana State Archaeology and Museum (Group A) Service (Amendment) Rules, 2019.
2. In the Haryana State Archaeology and Museums (Group A) Service Rules, 1997, in rule 5, for the figure “40”, the words and sign “forty- two” shall be substituted.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.